कार्यालय निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा
चण्डीगढ़

आदेश क्रमांक 23/ 63- 2002 विo (2) दिनांक चण्डीगढ़ 12.3.2002

होली मदर पब्लिक स्कूल यमुनानगर
को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से दसवीं स्तर की सम्बद्धता लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय समय-समय पर जारी की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा तथा हरियाणा विद्यालय शिक्षा एक्ट 1995 के जो नियम बनेगें वह विद्यालय को मान्य होगे ।

विभागीय हिदायतों की पालना न करने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस लिया जा सकता है ।

सुरीना राजन
निदेशक सैकण्डरी शिक्षा
हरियाणा चण्डीगढ़

पृष्ठाकन क्रमांक सम दिनांक चण्डीगढ़ 15.3.2002

इसकी यह प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी ~~[illegible]~~ यमुनानगर को उनके पत्र क्रमांक स्टेनो/02/508 दिनांक 25.2.2002 के सन्दर्भ में ।
2. प्राचार्य / मुख्याअध्यापक होली मदर पब्लिक स्कूल यमुनानगर
3. सचिव केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र कम्यूनिटी सैन्टर प्रीत बिहार, नई दिल्ली- 110002.

Principal
Holy Mother Public School
Yamuna Nagar

Manager,
Holy Mother Public School
Management Committee

अधीक्षक विद्यालय-I
कृते निदेशक सैकण्डरी शिक्षा
हरियाणा, चण्डीगढ़